

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-13/अ0 प्र0-01-19/2025

9152

पटना, दिनांक- 26.8.25

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-37 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष- 001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) विपत्र कोड सं0-37-2515000010009 के विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक में प्रावधानित राशि कुल ₹ 7217.84000 लाख (बहत्तर करोड़ सत्रह लाख चौरासी हजार) रु0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना एवं कार्यरत पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों के वेतनादि हेतु मांग संख्या-37 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष- 001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित राशि कुल ₹ 7217.84000 लाख (बहत्तर करोड़ सत्रह लाख चौरासी हजार) रु0 मात्र की व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	बजट शीर्ष 2515 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध (रूपया में)	प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राशि (रूपया में)	संशोधित राशि (रूपया में)
1	0009-01-01 - वेतन	1447562000	414876000	1862438000
2	0009-01-03 - जीवन यापन भत्ता	897488000	228181000	1125669000
3	0009-01-04 - मकान किराया भत्ता	268015000	41487000	309502000
4	0009-01-06 - चिकित्सा भत्ता	26940000	9240000	36180000
	योग (क)	2640005000	693784000	3333789000
5	0009-13-01 कार्यालय व्यय	25000000	10000000	35000000
6	0009-28-05 - परीक्षा संबंधी व्यय	0	2000000	2000000
7	0009-51-01 - मोटरगाड़ी	0	16000000	16000000
	योग (ख)	25000000	28000000	53000000
	कुल योग (क)+(ख)	2665005000	721784000	3386789000

2- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड संख्या- 37-2515000010009 के विभिन्न विषय शीर्षों से विकलनीय होगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

- 3- स्वीकृत राशि की निकासी आवंटन आदेश के आलोक में संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता का कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार के माध्यम से की जाएगी।
- 4- आवंटन आदेश CFMS के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-600 दिनांक-06.08.2025 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।
- 5- कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्र पर मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में गणना एवं अभिलेख संधारण में सुविधा हो।
- 6- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- 7- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-19/2025 के पृष्ठ संख्या-14/टि० पर दिनांक-20.08.2025 को प्राप्त है।
- 8- इस राशि के व्यय की स्वीकृति अपर मुख्य स विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 13/अ०प्र०-01-19/2025 में दिनांक- 22.08.2025 को संचिका के पृ०-14/टि० पर प्राप्त है।

विश्वसभाजन

सरकार के अवर सचिव
26.8.25

ज्ञापांक -13/अ० प्र०-01-19/2025 9/52 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना/ सिंचाई भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ० प्र०-01-19/2025 9/52 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (ग्रामीण कार्य) के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ० प्र०-01-19/2025 9/52 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अवर सचिव